

SOUTH BIHAR POWER DISTRIBUTION COMPANY LIMITED

Voluntary Declaration of Load Scheme, 2013 (VDLS-2013)



Illuminating lives...



अपने बिजली लोड की सही घोषणा करें

और

निश्चित होकर घर के सभी उपकरणों का उपयोग करें

यह योजना 70 किलोवाट या उससे कम के विद्युत भार वाले सभी निम्न वोल्टेज (एल.टी) उपभोक्ता के लिये उपलब्ध होगी

इस योजना के तहत उपभोगता अपने बड़े हुए विद्युत भार अथवा बढ़ाये जाने की घोषणा विहित प्रपत्र में सभी डे शुल्को के अग्रिम भुगतान के साथ लाइसेंस कंपनी के विभिन्न राजस्व संग्रह काउन्टरो पर करेंगे

आवेदन एवं शुल्क जमा करते ही आपकी अतिरिक्त विद्युत भार स्वीकृति मानी जायेगी एवं बिल्लिंग उसी बड़े हुए भार पर की जायेगी

1- सामान्य प्रावधान

- 1.1 यह योजना Voluntary Declaration of Load Scheme, 2013 के नाम से जानी जायेगी।
- 1.2 यह योजना 01 जुलाई 2013 से 30 नवंबर 2013 तक के अवधि के लिए पूरे साऊथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्युशन कंपनी लिमिटेड के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध है।
- 1.3 यह योजना बिहार विद्युत आपूर्ति संहिता, 2007 विद्युत अधिनियम, 2003 तथा स्टैंडर्स ऑफ परफोरमेन्स के प्रावधानों के अधीन होगी ।

2- अहर्ताएँ

- 2.1 यह योजना 70 किलोवाट/99 एचपी से कम के विद्युत भार अथवा संविदा भार वाले सभी निम्न विभव उपभोक्ताओं अथवा उपभोक्ता समूह के लिए उपलब्ध है ।
- 2.2 इस योजना के अधीन विद्युत भार की वृद्धि 70 किलोवाट/ 99 एचपी से अधिक नहीं किया जायेगा तथा यह उच्च विभव उपभोक्ताओं अथवा उपभोक्ता समूह के लिए उपलब्ध नहीं होगी ।
- 2.3 इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक द्वारा अतिरिक्त विद्युत भार के लिए वर्ष 2013-14 के लिए प्रभावी टैरिफ आदेश के तहत देय विविध राशियाँ जैसे- मीटर रेंट, आवेदन शुल्क, जाँच एवं निरीक्षण शुल्क, मीटर के विस्थापन / पुर्नस्थापन का शुल्क पर्यवेक्षण मजदूरी तथा सर्विस कनेक्शन के लिए स्थापना शुल्क का अग्रिम भुगतान अतिरिक्त सुरक्षा राशि एवं प्राक्कलित राशि के साथ करने होगा ।

Illuminating Lives.....

3- योजना की विवरणी

3.1 इस योजना के तहत उपभोक्ता अपने बड़े हुए विद्युत भार अथवा बढ़ाये जाने की घोषणा विहित प्रपत्र (दो प्रतियाँ में) सभी देय शुल्कों के अग्रिम भुगतान के साथ लाइसेन्सी के विभिन्न राजस्व संग्रहण काउन्टरों पर कर सकते हैं ।

3.2 राजस्व काउन्टर द्वारा घोषणा-पत्र की द्वितीय प्रति पर प्राप्त संबंधी अभियुक्ति दर्ज करते हुए उपभोक्ता को लौटा दिया जायेगा ।

3.3 बड़े हुए भार के अधीन निर्धारित अवधि में सभी देय शुल्कों के अग्रिम भुगतान एवं स्वघोषणा के अनुरूप बढ़ा हुआ मान लिया जायेगा ।

4- देय अग्रिम शुल्क की विवरणी

4.1 अग्रिम शुल्क -

क्र० सं०	विवरणी	आवेदन शुल्क (रु० में)	प्रतिभूति राशि (रु० प्रति किलोवाट)	निरीक्षण शुल्क (रु० में)	मजदूरी पर्यवेक्षण एवं स्थापना शुल्क (रु० में)	कुल राशि (रु० में)
1	सिंगल फेज से सिंगल फेज (घरेलु) (DS)	75	400	0	0	रु० 75 (Fixed) +400 प्रति किलोवाट
2	सिंगल फेज से सिंगल फेज (गैर घरेलु) (NDS)	75	1200	0	0	रु० 75 (Fixed) +1200 प्रति किलोवाट
3	सिंगल फेज से थ्री फेज (घरेलु) (DS)	200	400	200	900	रु० 1300 (Fixed) +400 प्रति किलोवाट
4	सिंगल फेज से थ्री फेज (गैर घरेलु) (NDS)	200	1200	200	900	रु० 1300 (Fixed) +1200 प्रति किलोवाट
5	थ्री फेज (DS) से थ्री फेज (NDS)	200	1200	200	900	रु० 500 (Fixed) +1200 प्रति एचपी
6	एलटीआईएस- I	300	1200 प्रति एचपी	200	0	रु० 2000 (Fixed) +1200 प्रति एचपी
7	एलटीआईएस - I से एलटीआई - II (25 एचपी से 90 एचपी तक)	300	1200 प्रति एचपी	200	1500	रु० 500 (Fixed) +1200 प्रति एचपी
8	एलटीआईएस - II	300	1200 प्रति एचपी	200	0	रु० 75 (Fixed) +400 प्रति किलोवाट

अब उपभोक्ताओं के परिसर के सही विद्युत भार की जाँच युद्ध स्टार पर करा रही है | एक सामान्य गणना के अनुसार अगर 1 किलोवाट/ अश्व शक्ति के विद्युत भार वाले के उपभोक्ता के यहाँ जाँच के दौरान 2 किलोवाट/अश्वशक्ति का विद्युत भार मिलता है तथा उसका मीटर ठीक पाया जाता है तो 18 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से विद्युत आपूर्ति की औसत अवधी मानते हुए उपभोक्ता को निम्नलिखित दंड देना पद सकता है |

क्र० सं०	घरेलु रुपैया (अनुमानित)	गैर घरेलु रुपया (अनुमानित)	एल-टी-आई-एस० रुपया (अनुमानित)
1.	3000	10500	11500

यह राशि और अधिक हो जायेगी अगर निम्न विभव उपभोक्ता का स्वीकृत भार 01 किलोवाट/ अश्वशक्ति से अधिक होगा अथवा मीटर बंद पाया जायेगा |



Illuminating lives...

साऊथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड

संबंध भार के स्वघोषणा का प्रपत्र

प्रमंडल का नाम :-

क्रमांक	विवरण			
1	उपभोक्ता का नाम एवं पता			
2	उपभोक्ता के पति/पिता का नाम			
3	उपभोक्ता का पता	ग्राम / मोहल्ला / वार्ड - पंचायत - प्रखंड - जिला - राज्य - बिहार मोबाईल / टेलीफोन नं० -		
4	उपभोक्ता संख्या / लेखा संख्या			
5	उपभोक्ता कि श्रेणी			
6	विद्युत कनेक्शन का उद्देश्य			
7	संबंध भार कि विवरणी			
क्र० संख्या	उपकरण का नाम	संख्या	प्रति यूनिट	कुल के०डब्लू० / एच०पी०
(i)	बल्ब		वास्तविक दर	
(ii)	ट्यूब लाईट 2/4		20 / 40 वाट	
(iii)	पंखा		60 वाट	
(iv)	टैप रिकाडर या म्यूज़िक सिस्टम		25 वाट	
(v)	वेक्यूमक्लीनर		250 वाट या वास्तविक दर	
(vi)	टेलिविजन (क) रंगीन (ख) ब्लैक एंड व्हाइट		100 वाट 60 वाट	
(vii)	मिक्सी		60 वाट या वास्तविक दर	
(viii)	फ्रीज		200 वाट या वास्तविक दर	
(ix)	कूलर		200 वाट या वास्तविक दर	
(x)	हीटर (खाना बनाने या पानी गर्म के लिये)		1000 वाट या वास्तविक दर	
(xi)	वाशिंग मशीन (बिना ड्रायर)		250 वाट या वास्तविक दर	
(xii)	गीज़र		1500 वाट / 4000 वाट या वास्तविक दर	
(xiii)	माइक्रो ओभेन		2000 वाट	
(xiv)	एयरकंडिशनर (1 टन / 1.5 टन / 2 टन)		1500 / 2000 / 2250 वाट या वास्तविक	
(xv)	स्प्लीट एयरकंडिशनर (1.5 टन / 2 टन)		2250 वाट या वास्तविक	
(xvi)	कंप्यूटर		100 वाट	

(xvii)	प्रिंटर		150 वाट	
(xviii)	वाटर लिफ्टिंग पम्प सेट		375 वाट या वास्तविक	
(xix)	इन्वर्टर		शून्य	
(xx)	अन्य विद्युत उपकरण जो उपर्युक्त में शामिल ना हो			
a				
b				
c				
8	कुल योग (एचपी / किलोवाट)			
9	स्वीकृत भार (एचपी / किलोवाट)			
(i)	अतिरिक्त विद्युत भार (एचपी / किलोवाट)			
(ii)	भुगतान किये गये अतिरिक्त राशि कि विवरणी			
	कुल राशि (₹० में)-		रसीद संख्या -	

तिथि :-

उपभोगता का

हस्ताक्षर

नोट :-

1. खाली सॉकेट प्वाइंट / होल्डर को भार गणना में शामिल नहीं किया जायेगा ।
2. कूलर, फ्रीज, टीवी, आयरन, ओवन आदि जो खराब है, विद्युत आपूर्ति से संबंध नहीं है तथा कार्यरत नहीं है उन्हें भार गणना में सम्मिलित नहीं किया जायेगा ।
3. घरेलु उपभोगता के मामले में दिसंबर, जनवरी तथा फरवरी माह के लिये गीज़र तथा रूम हीटर के विद्युत भार आंकलित किये जायेंगे तथा अप्रैल से लेकर सितम्बर माह तक एयर कंडिशनर (बिना हीटर के) आंकलित किये जायेंगे । हीटर सहित एयर कंडिशनर के मामले में एयर कंडिशनर का कुल भार पूरे वर्ष के लिये आंकलित किया जायेगा ।
4. किसी भी विद्युत संबंध के लिये कम से कम 1 किलोवाट का विद्युत भार आंकलित होगा तथा 500 वाट से कम का अंश निकटतम पूर्णांक पर आंकलित कि जायेगी ।
5. भार आंकलन के लिये उपभोक्ता बिहार विद्युत आपूर्ति संहिता, 2007 के अद्यतन एवं संशोधित प्रावधानों का प्रसंग एनेक्चर 4(1) में, कर सकते हैं ।
6. आवेदन तथा देय शुल्क जमा करते ही अतिरिक्त विद्युत भार स्वीकृत मणि जायेगी एवं बिलिंग उसी बढे हुए भार पर की जायेगी ।
7. यह योजना केवल उपभोक्ताओं के सुविधा हेतु लागू की जा रही है । इसका नियमित भार जाँच के दौरान पायी जाने वाली विद्युत चोरी अथवा अतिरिक्त भार से कोई लेना देना नहीं होगा । इस दौरान विद्युत अधिनियम 2003, विद्युत आपूर्ति कोड 2007 तथा अन्य सभी प्रभावी नियमों के सभी प्रावधान प्रभावी रहेंगे ।

.....✂.....✂.....✂.....

पावती रसीद

उपभोक्ता का नाम -

पता -

उपभोक्ता संख्या / लेखा संख्या -

प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर

कुल स्वीकृत भार -



Illuminating lives...